राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा,) बाड़मेर

क्रमांक – प. 35( )( )आ.प्र.एवं सहा. / 2023 / 1583 दिनांक :– 08/08/2023

प्रेषितः–

शासन सचिव
आपदा प्रबंध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राज. जयपुर।

विषयः– अग्नि सहायता मद में DMIS portel पर Direct Demand का ऑपशन खोलने बाबत्।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 2990 दिनांक 26.12.2022, 679 दिनांक 30.05.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अग्नि सहायता से संबधित 351 प्रकरणों में पीडित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु DMIS portel पर प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 3576, 3579, 3580 दिनांक 21.01.22, 4102, 4103, 4105, 4106, 4107, 4108 दिनांक 10.04.22 व 4664, 4665, 4667, 4669 दिनांक 06.07.22 जारी की जाकर विभाग से बजट मांग की गई थी, विभाग द्वारा विलम्ब से बजट मांग करने के कारण प्रकरणों के निस्तारण में दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे निर्देशों की पालना में 23 तहसीलदारों व 118 पटवारियों को 17 सी.सी.ए. में आरोप–पत्र जारी किये गये है, जिसकी सूची इस कार्यालय के पत्रांक 2295 दिनांक 13.0.2022 द्वारा विभाग को भिजवाई जा चुकी है।

उक्त स्वीकृति में वर्ष 2021–2022 के प्रकरण जिनका निस्तारण निर्धारित समयावधि मे हुआ था, उसमे विभाग द्वारा बजट आंवटन कर दिया जाबकि विलम्ब वाले 351 प्रकरणों में बजट नही दिया गया। जिसके कारण पीडित परिवारों द्वारा बार–बार विभिन्न स्तरों पर अपनी परिवेदना पेश कर सहायता प्रदान करने हेतु लगातार निवेदन कर रहे है। वर्ष 2018 से बकाया प्रकरणों मे सहायता अब तक नहीं दिये जाने के कारण स्थानीय समाचार पत्रों समाचार प्रकाशित हो रहे है। जिसके कारण राज्य सरकार की छवि पर विपरित प्रभाव पड रहा है।

अतः उक्त 351 प्रकरणों की सूची संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रशासनिक स्वीकृतिया DMIS portel पर Re-Eligible For Administrative Sanction नहीं हो रही है। जिस कारण ऑनलाईन बजट मांग नही हो पा रही है। ऑनलाईन बजट मांग के लिए पूर्व की भांति DMIS Portel पर Direct Demand (अग्नि मद हेतु) ऑपशन खुलवाएं ताकि राशि 57,36,200 / – की बजट मांग की जा सके।

भवदीय

(अरूण कुमार पुरोहित)
**जिला कलक्टर बाडमेर**
(आ.प्र.सहा. एवं नागरिक सुरक्षा),

agni.docx